कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

दूरभाषः कार्यालय 05962–230229, फैक्सः 05962–230229 ई–मेल csalmdfo@rediffmail.com

पत्रांक 3943 / 27-1 अल्मोड़ा दिनांक 28/04/2022

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनाग्नि रोकथाम हेतु सामग्री की आपूर्त्ति हेतु निविदा का विवरण

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत वर्ष 2022 अग्निकाल में अग्नि सुरक्षा के लिए निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक एवं सक्षम आपूर्ति कर्ताओं से निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदाए दिनांक 05.05.2022 को अपराह्न 03:00 बजे तक प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.05.2022 के अपराह्न 04:00 बजे गठित समिति द्वारा खोला जाएगा। निविदा दाताओं को सामग्री का नमूना भी समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 04.05.2022 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

क. सं.	सामग्री का विवरण	सामग्री की विशिष्टता	मात्रा (संख्या में)	सामग्री आपूर्ति करने की अवधि	निविदा धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)
1	Hunter shoe	Boot Ankle Textile with Polyurethene PU sole. (Size- 6, 7, 8,)	150 नग	15.05.2022	रु0 16,000/–	रु0 590/– जी0एस0टी0 सहित
2	Socks	Fire resistant socks	150 नग			
3	Helmet	Weight not over than 450 gm Material – ABS ISI Mark	150 नग			
4	Torch	Water Resistant IP65 Impact Resistant upto 1 meter Rechargeable, Lumens- 700 Weight not more than 350 gm	75 नग			
5	Fire Gloves	Crome leather, Soft, supple 2-3 layerd for hand & wrist protection.	150 नग			
6	Water bottle	HDPE 5 BP free, Capacity 1 litre	200 नग			
7	Bag	Durable polyster Buckle material – POM Dimension 30 inch * 14 inch Weight not more than 1.65 kg Internal frame supported by fibre padding, Capacity 65 litre	75 नग			
8	Fire Rake	ISI Mark With Handel	150 नग			

उक्त निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता/फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं से वनाग्नि सम्बन्धी सामग्री आपूर्त्ति निविदा हेतु टू–बिड सिस्टम में देनी होगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

a– तकनीकी निविदा संलग्न प्रपत्र में दी जानी हैं। **(संलग्नक–1)**

b– वित्तीय निविदा संलग्न प्रपत्र में दी जानी हैं। वित्तीय निविदा में सामग्री की दरें समस्त करों सहित अंकों एवं शब्दों में दी जाय। **(संलग्नक–2)**

c- तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग लिफाफों में सीलकर (लिफाफे पर अंकित हो कि लिफाफा तकनीकी है अथवा वित्तीय) दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील कर प्रस्तुत करनी होगी। सील बन्द लिफाफे के ऊपर **''वनाग्नि प्रबन्धन सामग्री आपूर्त्ति सम्बन्धी निविदा''** अंकित करना अनिवार्य होगा।

d- सर्वप्रथम तकनीकी निविदा का लिफाफा खोला जायेगा तथा तकनीकी निविदा सही पाये जाने तथा सामग्री की गुणवत्ता दी गयी विशिष्टताओं के अनुरुप होने पर ही वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जायेगा, जिस निविदादाता की तकनीकी निविदा तथा सामग्री की गुणवत्ता विशिष्टताओं के अनुरूप सही नही पाया जायेगा उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

2. क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा कम अथवा ज्यादा हो सकती हैं। वास्तविक संख्या उपलब्ध बजट के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् निर्धारित की जायेगी।
3. सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी आवश्यक है। सामग्री के नमूने निविदा खुलने के समय प्रस्तुत करने होंगें। नमूनों की गुणवत्ता एवं विशिष्टताओं के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
4. सभी सामग्री की कम से कम एक वर्ष की वारन्टी होना अनिवार्य है। उपलब्ध करायी जा रही **सामग्री** ISO/UIAA/CE प्रमाणन (Certification) होना अनिवार्य है।
5. क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच समिति के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
6. विवाद की स्थिति में किसी एक अथवा समस्त प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति का होगा।
7. निविदा के साथ धरोहर धनराशि के रूपमें रूपया 16,000.00 (रूपया सौलह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / एन0एस0सी0 / बैंकर्स चेक / बैंक गारन्टी जो प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के नाम बचनबद्ध हो, प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगा। निविदा की दरें स्वीकृत होने पर यदि आपूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित फर्म की धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
8. निविदा के साथ रूपया 100.00 (एक सौ रूपये) का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न होना चाहिए।
9. निविदादाता को निविदा के साथ आयकर पंजीकरण संख्या (PAN) एवं GST पंजीकरण का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा।
10. निविदादाता को फर्म द्वारा विगत 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. निविदादाता फर्म / कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर रूपया 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। इस हेतु प्रमाण के रूप में विगत तीन वर्षो का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न करना आवश्यक है।
12. सरकारी / गैर–सरकारी क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति हेतु संतोषजनक रूप से कार्य करने / आपूर्ति किये जाने का <u>प्रमाण–पत्र / कार्यादेश</u> प्रस्तुत करना होगा।
13. निविदाता को केन्द्रीय व राज्य सरकार संस्था द्वारा काली सूची में न होने के आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
14. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् आपूर्ति आदेश के आधार पर निविदा में उल्लेखित गुणवत्ता के सामग्री को दिनॉक 15.05.2022 तक प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान सम्भव होगा।

15. निविदादाता को सामग्री के नमूने प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में स्वयं के व्यय पर निविदा खोलने की तिथि को प्रदर्शन हेतु लाना होगा।
16. निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट से दिनांक 05 मई, 2022 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए। नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदायें स्वीकार्य नही की जायेगी और न ही निविदा समिति द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। डाकप्रेषण में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा।
17. सशर्त अथवा संदिग्ध निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
18. निविदा प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
19. निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश प्राप्त होने से पूर्व कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में 10 प्रतिशत घनराशि जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम (प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा) पर निरुपित हो, का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी के रूप में बन्धक रखनी होगी, जो सामग्री की संतोषजनक आपूर्ति एवं वारन्टी आवधि के पश्चात् अवमुक्त/वापस की जायेगी।
20. निविदा प्रपत्र में मांगे गये सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय क्षेत्र अल्मोड़ा होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

पत्रांक 3943/ 27-1 **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
6. उप वन संरक्षक, आई0टी0सैल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा करें।

I.T.C.
अपलोड कर पेंडी करें।
C.C.F.
2/5/22

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।